34

"संलग्नक – चार"

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या– F/1702 / [illegible] /2012 दिनांक– 15-10-12

कार्यालय –ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के क्रम संख्या 3.1.3–4 में यह प्राविधान किया गया है कि " प्रदूषण विहीन इकाइयों को केवल स्टैन्ड बाई व्यवस्था के रूप में जेनरेटर उपयोग करने की दशा में 5के0वी0ए0 तक के जेनरेटर हेतु प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया से छूट अनुमन्य हैं। नई नीति के अंतर्गत 5के0वी0ए0 से अधिक के जेनरेटर प्रयोग पर भी ऐसी इकाईयों को प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया से मुक्त रखा जायेगा।"

उक्त के अनुपालन में एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि "प्रदेश में सक्षम अधिकारी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत घोषित संवेदनशील क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थापित प्रदूषण विहीन इकाईयों में 5 के0वी0ए0 की अधिक क्षमता के स्टैण्ड बाई व्यवस्था के रूप में जेनरेटर उपयोग करने की दशा में पृथक से जल (प्रदूषण निवारंण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथासंशोधित एवं वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति-प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा परन्तु उक्त स्टैण्ड बाई व्यवस्था के रूप में स्थापित किये जाने वाले जेनरेटरों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमों में किये गये प्राविधानों के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की जाएगी।"

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

(वसीम अहमद खान)
अध्यक्ष

पृ0सं0 एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
2. समस्त वृत्तों/अनुभागों के नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड, मुख्यालय।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
5. गार्ड फाइल।

(जे0एस0 यादव)
सदस्य सचिव (प्रभारी)